

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

**132 - जैसलमेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन**

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री छोट्टसिंह

175, नयावास, अमरसागर, तहसील एवं जिला जैसलमेर

जो **भारतीय जनता पार्टी** (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- जैसलमेर

दिनांक :- 03-12-2023



(जगदीश सिंह आशिया)

रिटर्निंग अधिकारी

132 - विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर

(जगदीश सिंह आशिया)  
रिटर्निंग अधिकारी (एल.टी.एम.)  
विधानसभा क्षेत्र - 132 जैसलमेर

## Form 21C

(See rule 64)

*(For use in General Election when seat is contested)*

### Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **132- JAISALMER** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri **CHHOTUSINGH**

**175, NAYAVAS, AMARSAGAR, TEH. & DIST. JAISALMER**

sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognized / registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :- JAISALMER

Dated :- 03-12-2023



**(JAGDISH SINGH ASHIYA)**  
RETURNING OFFICER  
132- JAISALMER

LEGISLATIVE ASSEMBLY CONSTITUENCY  
(Jagdish Singh Ashiya)  
Returning Officer (S.D.M.)  
AC - 132 JAISALMER